बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/
03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना–03/15

पटना, दिनांकः–...............................

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत उद्योग मित्र योजना के लिये अनुमानित व्यय कुल ₹140.00 लाख (एक करोड़ चालीस लाख) मात्र की सहायक अनुदान के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1798, पटना, दिनांक–16.06.2017 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उद्योग मित्र योजना के लिये अनुमानित व्यय कुल **₹140.00 लाख (एक करोड़ चालीस लाख) मात्र** की सहायक अनुदान के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय एवं निकासी संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप किया जायेगा।

3. उद्योग मित्र सासाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित है। जो पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन है।

राज्य के तीव्रतर औद्योगिक विकास एवं राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में उद्योग मित्र का सुदृढ़िकरण किया गया हैं। उद्योग मित्र का मुख्य उदेश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक वांछित सूचनाएँ, परामर्श तथा प्रोजेक्ट प्रोफाईल/आँकड़े निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। साथ ही साथ विभाग के आवश्यकतानुसार औद्योगिक विषयों पर सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जहॉ पर विभागीय योजनाओं से संबंधित ब्रोसर/पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी जाती है।

उद्योग मित्र में सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत कॉल सेन्टर स्थातिप है। जिसके माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं विस्तृत सूचनाएँ उद्यमियों को दी जाती है।

उद्योग संवाद पोर्टल (www.udyog.bihar.gov.in) पर उद्यमियों द्वारा की गयी पृच्छा को जवाब शीघ्रातिशीध्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ **"बनो उद्यमी अभियान"** का ब्रोसर/स्टैंडी आदि मुद्रित कराकर सभी जिला उद्योग केन्द्रों का उपलब्ध कराया गया है।

3. प्रस्तावित राशि का व्यय बजट शीर्ष : मुख्य शीर्ष 2851–ग्राग तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0106–उद्योग मित्र, विपत्र कोड 23-2851001020106, विषय शीर्ष 0106.31.04 सहायक अनुदान वेतन मद में ₹109.00 लाख (एक करोड़ नौ लाख) मात्र एवं 0106.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹31.00 लाख (एकतीस लाख) मात्र का वित्तिय वर्ष–2018–19 के बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म–BTC-46 पर की जायेगी।

5. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ, पटना की होगी।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर...

6. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति **संचिका सं0**–*03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**51/टि0** पर दिनांक–**27.11.2018** को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–3046/**IDC,** दिनांक–27.11.2018 है।

9. राज्योदेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति **संचिका सं0**–*03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**55/टि0** पर दिनांक–**13.12.2018** को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक........................
03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक........................
03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4600 / पटना, दिनांक 18.12.18
03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
17/12/18

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग मित्र योजना की मदवार अनुमानित व्यय विवरणी :–		
क्र०सं०	**विषय शीर्ष 0106.31.04 सहायक अनुदान वेतन**	**राशि**
1	मूल वेतन	87,62,000=00
2	अंशदान भविष्य निधि	14,33,000=00
3	सामूहिक भविष्य निधि	07,05,000=00
	योग :– (क्रमांक 1–3 तक)	**₹ 1,09,00,000=00**
क्र०सं०	**विषय शीर्ष 0106.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन**	**राशि**
4	भवन किराया, महसूल कर एवं रख–रखाव	03,30,000=00
5	विद्युत प्रभार	04,51,000=00
6	वाहन चालन	04,22,000=00
7	दूरभाष एवं इन्टरनेट	88,000=00
8	कार्यालय व्यय	01,75,000=00
9	पुस्तकालय	11,000=00
10	वर्दी	17,000=00
11	यात्रा व्यय	01,54,000=00
12	कम्प्यूटर/फोटो कॉपियर/फैक्स/प्रिन्टर/उद्योग मित्र के वेव–साईट का रख रखाव	02,75,000=00
13	सेमिनार एवं मेला	02,20,000=00
14	प्रकाशन	01,00,000=00
15	38 जिला उद्योग केन्द्रों पर Internet होने वाला व्यय	03,96,000=00
16	Empanelled विशेषज्ञों का शुल्क	01,61,000=00
17	संविदा पर कार्यरत कर्मी	03,00,000=00
	योग :– (क्रमांक 4–17 तक)	**₹ 31,00,000=00**
	कुल योगः–(क्रमांक 1–17 तक)	**₹ 1,40,00,000=00**

(एक करोड़ चालीस लाख) मात्र।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive suieet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------187